

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

प.9(4)गृह-1 / 2024(18135)

जयपुर दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.04.2026 के क्रम संख्या 14 पर अंकित श्री देवकीनंदन पुत्र श्री पूर्णानंद, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बोरखेडा जिला कोटा शहर को सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी।

अतः श्री देवकीनंदन पुत्र श्री पूर्णानंद, सहायक उप निरीक्षक के विरुद्ध पुलिस थाना गुमानपुरा जिला कोटा शहर में प्रकरण संख्या 184/2026 उपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(2) बी.एन.एस. व 66सी, 66डी आईटी एक्ट के अभियुक्तों से अवैध उदरपूर्ति का मामला संज्ञान में आने पर उक्त कार्मिक के खिलाफ विभागीय जांच प्रारम्भ कर दिनांक 02.05.2026 के द्वारा निलम्बित किये जाने के कारण मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक को प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अति. मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिदेशक, सतर्कता को प्रेषित कर लेख है कि अपचारी के मूल्यांकन की कमियों की जांच कर जिम्मेदारी तय करते हुए इस विभाग को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस